

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/383 /2025, लखनऊ दिनांक-मार्च 05 .2025

संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 आगरा व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, आगरा ने अपने क्रमशः पत्र संख्या 162/2025 दिनांकित 04.03.2025 व पत्र संख्या 56/2025 दिनांक 04.03.2025 द्वारा माह मार्च 2025 में दिनांक 17.03.2025 से 21.03.2025 तक गठित खण्ड पीठ को अन्तिम सप्ताह में गठित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त पत्रों के अनुक्रम में, मुख्यालय द्वारा निर्गत पूर्व आदेश सं0 179/2025 दिनांक 31.01.2025 द्वारा आगरा में दिनांक 17.03.2025 से 21.03.2025 तक गठित युगल पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त तिथियों के स्थान पर दिनांक 24.03.2025 से 28.03.2025 तक सदस्य पीठ-1, आगरा व सदस्य पीठ-2, आगरा की खण्ड पीठ गठित की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-05.03.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- 1 व 2 आगरा।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।